(राजस्थान–सरकार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां
पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः एफ.एस.एस.एक्ट 03 / 2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्ण गोविन्द गर्ग उम्र 45 वर्ष जाति महाजन निवासी ए वी एस कॉलोनी अम्बेडकर सर्किल बारां (मौके पर मौजुद मालिक व विक्रेता) मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, अम्बेडकर सर्किल बारां। मो. नं0 9460308854
2. श्री सतीश डंग पुत्र श्री गुलशन निवासी अस्पताल रोड मार्ग बारां। मैसर्स भौलेनाथ ट्रेडिंग, हॉस्पिटल रोड बारां। मो. नं0 9414191023

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 01)

निर्णय दिनांक 10.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, अम्बेडकर सर्किल बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्ण गोविन्द गर्ग **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 24.02.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** 500 मि0ली0 पैक में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **घी (नोवा)** विक्रेता से 500 मि0ली0 की 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्ण गोविन्द गर्ग को 680/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री संजय गर्ग व श्री सुरेन्द्र के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **घी (नोवा)** 500 मि0ली0 की 04 अलग–अलग कर चार नमूना भाग में कर मूल पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक निमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–802 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–802 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्ण गोविन्द गर्ग ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/83 दिनांक 04.04.2018 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S.222/Act/2018/247 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स दिनेश किराना स्टोर, अम्बेडकर सर्किल बारां से पत्रांक 84 दिनांक 04.04.2018 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल प्रति चाही गई। मैसर्स दिनेश किराना स्टोर द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स भौलेनाथ ट्रेडिंग, हॉस्पिटल रोड बारां से पत्रांक 97 दिनांक 10.04.2018, 133 दिनांक 12.06.2018, 164 दिनांक 11.09.2018 एवं 222 दिनांक 26.11.2018 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना चाही गई। मैसर्स भोलेनाथ ट्रेडिंग, हॉस्पिटल रोड बारां द्वारा प्रतिउत्तर में 02 पत्र कार्यालय में पेश कर निवेदन किया है कि भोलेनाथ ट्रेडिंग कंपनी द्वारा फूड लाइसेन्स क्रमांक 12214012000182 जिसका प्रोपा0 सतीश कुमार डंग है जिसका पहचान पत्र एवं अनुज्ञा पत्र की फोटो प्रति एवं जीएसटी नं0 की प्रति कार्यालय में पेश की है। भोलेनाथ ट्रेडिंग कंपनी द्वारा माह नवंबर 2017 में पेकिंग का कोई माल खुदरा व्यापारी को विक्रय नही किया गया है। इस कारण डी डी एवं पेकिंग सामग्री जमा करने का उत्तरदायित्व कंपनी अथवा खुदरा व्यापारी का है। घी (नोवा) की निर्माता पेकिंग कंपनी उत्तरदायी है।

इस पर प्रकरण दिनांक 28.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थीगण 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (नोवा) 500 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ा) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक ने कहा कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से जो रिपोर्ट ली गई है। उसमें घी (नोवा) जांच के दौरान सही पाया गया है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिये सही पाया गया है। जांच रिपोर्ट में गलत तौर पर मिथ्याछाप (Mis branded) माना गया है। अप्रार्थी द्वारा घी (नोवा) जर्ये बिल नं0 सी–1836 दिनांक 21.02.2018 भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी से रूपये 6111/– में खरीदा गया था। अप्रार्थी को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S.222/Act/2018/247 दिनांक 22.03.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 1 को 5,000/– रूपये का जुर्माना एवं अप्रार्थी क्रम 2 को 10,000/– रूपये का जुर्माना, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 2 अनुपस्थित रहने से, उसको निर्णय की सत्य प्रतिलिपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)